

29/10/2021

प्राथमिकी पर ही वहील वाली धारिका।

प्रकरण में तदानीपर सीकर से जारि प्रमाण
क्र.अ/2021/7532 दिनांकित 6.10.2021 विस्तार

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसको विचारित
किया जाता है।

आवश्यकताओं के लिए प्रमाणित
विभाजन में प्रमाणित विभाजन के
व्युत्पन्न होने पर ही प्रमाणित

इसी ही पालना में तदानीपर रक्षक से
प्राप्त विस्तृत विभाजन के अनुसार प्रकरण
में अनिम इति जारी किया जाने का निवेदन
किया।

प्राथमिकी पर उल्लेख राजस्व

सेवाएं एवं प्रा. इति ही पालना में प्राप्त

विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन

किया गया। यदि प्रमाणित इति ही पालना

में प्राप्त विस्तृत विभाजन अनुसार अनिम

इति जारी किया जाने पर व्युत्पन्न उप

पत्र पूर्णतः सधम है।

अतः प्रा. इति ही पालना में

प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अनुसार सेवा

अनिम रूपेण इति किया जाता है। विस्तृत

विभाजन प्रस्ताव अनिम इति का प्राप्त

रहना। प्रमाणित विस्तृत विभाजन प्रस्ताव



Handwritten signature and official stamp of the Assistant Commissioner, State of Rajasthan, with the text 'सहायक सीकर (विभाजन)' and 'राजस्थान'.

य

बनाम

न

राजस्व रेटार्ड की उमाल दरामद
के। तद प्रसार पत्र दिती जादी है।

पत्रावली प्रसार शुमार दोहर नमबर
के उग है। पत्रिक दफतर है। निर्णय
कुली - सामाज्य में सुनामा आमा।



(Signature)
(मुनीश कुमार A.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर